फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नारायण सिह बनाम उम्मेहसिह प्रकरण सख्या 13/2021	
26/2/2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर आदेश दिनांक 06.01.2021 को रिव्यू करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज कर मूल पत्रावली को तलब किया प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण ने मूल वाद धोषणा हेतु पेश किया। जिसके खसरा नम्बर 104 रकबा 14 बीधा 16 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम दईपडा खिचियान को खातेदार उम्मेदसिह से प्रार्थीगण के पिता ने खरीद किया था जो बेचान दिनाक 04.02.1976 का हैं। तथा कब्जा प्रार्थीगण के पिता को सुपुर्द किया तब से प्रार्थीगण बटनीयत खातेदार काबिज है। परन्तु प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही किया गया तथा राजस्व कर्मचारी आना काना कर रहे है जिसके लिए प्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया जावें। उक्त वाद में कोई उपस्थित हेतु खंडन नहीं किया तथा वादी द्वारा अपने वाद को सिद्व किया है परन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2021 को खारिज कर दिया जो प्रथम दृष्टया एकल है तथा जो केस ऑफ द दिख रहा है जिसका कारण है वो दस्तावेज के पंजीयन से संबंधित है जबकि दस्तावेज 100/— से कम वेल्यू का है जिसका पंजीयन होना अनिवार्य नहीं है तथा दस्तावेज में कब्जा सुपुर्द करता अंकित है ऐसी स्थिति में रिव्यु किया जाकर वाद डिकि किया जावें। धारा 229 (राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955) के अन्तर्गत बोर्ड अथवा अन्य राजस्व न्यायालय की पुनरावलोकन करने की शक्ति कोड आफ सिविल प्रोसिजर 1908 के प्रावधान के अधीन है जिसके लिए अभिलेख पर त्रुटि का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। कानून की गलत व्याख्या या अवहेलना रिव्यू का आधार नही हो सकता। रिव्यू का क्षेत्र काफी सीमित होता है इस मामले मे आदेश/निर्णय मे अभिलेख पर दिखाई देने वाली कोई त्रुटि अथवा समुचित आधार विद्यमान होना प्रतीत नही होता है, जिसके आधार पर उक्त आदेश /निर्णय का पुनरावलोकन (रिव्यू) किया जावे। अतःरिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। 26/2/21 **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,** **लूणी**	